

## कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत

Email-dfo\_chamawat\_uta@yahoo.co.in

पत्रांक 3079 / 12-1

दिनांक, चम्पावत

27-5-

2019

सेवा में,

वन संरक्षक  
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,  
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

**विषय:-** जनपद चम्पावत में राज्य योजना के अन्तर्गत स्वीकृति तामली से गढ़मुक्तेश्वर तक मोटर मार्ग निर्माण प्रस्ताव स0FP/uk/ROAD/25953/2016

**संदर्भ:-** आपका ई0डी0एस0का दिनांक 28.02.2019  
महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके संदर्भित आपत्ति के कम में प्रस्तावत विभाग से प्राप्त आख्या के आधार पर वांछित सूचना /आख्या निम्न प्रकार प्रेषित हैं:-

क्रम स0	आपत्तियाँ	निराकरण
1	short narrative of the project does not give adequate information about the proposal.it should give comprehensive details of the project in brief.	संक्षिप्त विवरण अंकित कर दिया गया है।
2	some other documents had been uploaded in the place of justification at section D.	जस्टिफिकेशन चम्पावत द्वारा प्रतिहस्ताक्षर उपरान्त आईलाईन पार्ट 1 में अपलोड कर दिया है।
3	please delete cost benefit analysis documents at para in form A,part I	प्रस्ताव 5.00 हे0 से कम होने के कारण लागत लागू नहीं है।
4	convert CA details in(l)g.	राजस्व विभाग से क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल की खसरा नकल की प्रति आपलोड कर दिया है।
5	user agency may provide village level committee proceeding for each village separate with seprate atndace sheet according to filled details B-2.3 village wise breskup along with FRA may also be provide and upload in para K part -I	ग्राम सभा द्वारा सहमति पत्र सलग्न किया गया है। नाग एवं बचकोट एक ही ग्राम सभा है।
6	non encumbrance certificate and mou has not uploaded at sectionL.	समझौता ज्ञापन फॉर्म -ए पार्ट -प्रथम में अपलोड कर दिया गया है।
7	the certificate of arial distance of project area is not found uploaded n form A.part I.	पशु विहार सह हवाई दूरी का प्रमाण पत्र भी अपलोड किया है।
8	Genrally the area proposed for CA is double the area proposed for diversion and in this case it shoud be 4.90 ha but it is mentioned 5.00 ha in details provided in part Ineeds clarifcation and necessary correction.	स्थल के अनुसार 4.90 हे0 के स्थान पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु एक मुश्त 5.00 हे0 का चयन किया गया है। जो कि 0.10 हेतु अधिक है जो नगण्य है।



9	tree mention in 62 in tree list uploaded additional information in para-13 however mention 60 at 4(ii) in form A, please rectify.	प्रकरण में 62 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं जिसे पाट 2 में संसोधित कर लिया गया है।
10	tree mention in tree list uploaded additional information in part I is mismatch to part II at 4(ii). please rectify.	प्रकरण में 62 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं जिसे पाट 2 में संसोधित कर लिया गया है।
10	area for CA has not been mentioned in CA scheme at para-13 online part-II	पैरा -13 पार्ट द्वितीय में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्कीम अपलोड कर दी है।

अतः अनुरोध है कि प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु उच्च स्तर को प्रेषित करने की कृपा करें।

भवदीय

Handwritten signature

(कुबेर सिंह विष्ट)

प्रभागीय वनाधिकारी

चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत